प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-24 दिसम्बर, 2020

विषयः-प्रदेश की कारागारों में संवेदनशील स्थानों की अच्छी फीड प्राप्त करने के लिए उच्च क्षमता के कैमरों एवं उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21105/आधु-1/सीसीटीवी/2020, दिनांक-25.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की 55 कारागारों में संवेदनशील स्थानों की अच्छी फीड प्राप्त करने हेतु 04 मेगा पिक्सल के 55 पीटीजेट तथा 05 मेगा पिक्सल के 165 बुलेट कैमरें कुल 220 कैमरें, एनबीआर, स्विच, राउटर, केबल आदि की व्यवस्था हेतु रू0 363.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 3,63,72,000/-(रूपया तीन करोड़ तिरसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) सी0सी0टी0वी0 कैमरे व सहवर्ती उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GEM) के माध्यम से किया जायेगा, जो सामग्री व सेवायें जैम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं उनके सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा दिये गये परामर्श (किसी कठिनाई की स्थिति में जैम सेल, लखनऊ की सहायता प्राप्त की जाय) के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त उपकरण/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले सीसीटीवी कैमरें व सहवर्ती उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) सीसीटीवी कैमरें व सहवर्ती उपकरणों का क्रय उनकी स्वीकृत संख्या व धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक-31.03.2020 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) क्रय की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों संयंत्रों वाहनों आदि की व्यवस्था-26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/2342/दस/2020, दिनांक-23 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2020/752/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in